क्रमौक 5462-5 जी 0एस 0-1-75/28285

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

- हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष, ग्रम्बाला तथा हिसार मण्डलों के ग्रायुक्त, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल ग्रिधिकारी ।
- 2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा निकास करा करा

दिनांक चण्डीगढ़, 17 सितम्बर, 1975 ।

विषय :--चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लिपिकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त करने के बारे । महोदय,

मुझे निदेश हुन्रा है कि मैं ग्रापका ध्यान उपर्युक्त विषय परहित्याणा सरकार के परिपत्न क्रमांक 1507-5 जी 0 एस 0-1-73/8724 दिनांक 30 मार्च, 1973; क्रमांक 3049-5 जी 0 एस 0-1-73/14393, दिनांक 5 जून, 1973 तथा क्रमांक 3077-5 जी 0 एस 0-1-74/13841 दिनांक 13 जून, 1974 में जारी की गई हिदायतों की श्रोर श्राकित करूं तथा यह बताऊं कि हरियाणा सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या किसी ए से चतुर्थ/तृतीय श्रेणी (जिनका बेतनमान लिपिक के बेतनमान से कम है) के कर्मचारी को जो कि मैंट्रिक तक हिन्दी भाषा का ज्ञान न रखते हों, उपरोक्त हिदायतों के ग्रनुसार लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है श्रथवा नहीं? सरकार ने इस बारे में पूर्ण रूप से विचार करके यह निर्णय किया है कि चतुर्थ/तृतीय श्रेणी (जिनका बेतनमान लिपिक के वेतनमान से कम है) के कर्मचारी जो कि मैंट्रिक तक हिन्दी भाषा का ज्ञान न रखते हों, को सरकार की उपरोक्त हिदायतों के ग्रनुसार यदि वह दूसरी सभी निर्धारित शर्ते पूरी करते हों, उन्हें लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जाए ।

कृत्या हरियाणा सरकार के उक्त निर्णय को ग्रपने ग्रधीन कार्य करने वाले सभी संबंधित कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए ।

भवदीय,

हस्ता/-उप सचिव, सामान्य प्रशासन, कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा श्रावश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:--वित्तायक्त, हरियाणा सरकार तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव ।